FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0236 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/08/2026 13:14 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 20/08/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 10:58 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/08/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/08/2026 13:14:47 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** POLICE THANA KOTPUTLI, JILA KOTPUTLI-BEHROR
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** CHHITAR GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHANWARA RAM GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RAVAT KI DHANI,RAMKARANPURA, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RAVAT KI DHANI,RAMKARANPURA, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJENDRA SINGH		पिता:LATE. NANDLAL	1. BHADNGI,KAUSALI,रेवाड़ी, हरियाणा,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 19.08.2026 को वक्त करीब 10.30 ए.एम पर परिवादी श्री छीतर गुर्जर पुत्र श्री भंवरा राम गुर्जर, उम्र 50 साल, जाति गुर्जर, निवासी- रावत की ढाणी, रामकरणपुरा, जिला कोटपूतली-बहरोड, ने उपस्थित होकर एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन उप पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पेश किया कि मैं छीतर गुर्जर पुत्र श्री भंवरा राम गुर्जर निवासी रावत वाली ढाणी, रामकरणपुरा, जिला कोटपूतली-बहरोड का निवासी हूं। मै कृषि लोन के लिए यूको बैंक में गया तो वहां के मैनेजर साहब ने मेरे खाते को देखकर बताया कि आप डिफालटर हो, आपने आईसीआईसीआई बैक के लोन में डिफालटर गारन्टर होने से आपको कृषि लोन नही मिल सकता। इसके बाद मै आईसीआईसीआई बैंक ब्रान्च कूजूका (मोहनपुरा) में गया तथा वहां के मैनेजर साहब से मिला और मेरे द्वारा दी गई लोन गारन्टी के बारे में पूछा तो बैंक के मैनेजर ने मुझे कुछ नही बताया और मेरे साथ गाली गलौच कर धक्का मुक्की कर बैंक से भगा दिया। उक्त घटना के सम्बन्ध मैने कोर्ट के माध्यम से पुलिस थाना कोटपूतली में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसकी जांच कोटपूतली थाने के थानेदार राजेन्द्र सिंह कर रहे हैं। मेरी केस में कार्यवाही करवाने के लिए मैं दिनांक 16.08.2026 को शाम को श्री राजेन्द्र सिंह थानेदार साहब से मिला तो थानेदार साहब ने मेरे केस में आगे कार्यवाही करने पहले तो 10,000 रूपये मांगे थे फिर 5000 रूपये देने की बात कही और रूपये नही देने पर कोई केस में कोई कार्यवाही नहीं करने की कही है। मैं राजेन्द्र सिंह थानेदार को रिश्वत नही देना चाहता हूं उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरे केस से सम्बन्धित कागजात व मेरे आधार कार्ड की फोटोकॉपी पेष कर रहा हूं। कृपा मेरे प्रार्थना पत्र पर कानूनी कार्यवाही करे।'' जिसका अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री छीतर गुर्जर को पढकर सुनाया जाकर दरियाफ्त की गई तो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि राजेन्द्र सिंह, थानेदार से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है और ना ही पैसों का कोई उधार लेन-देन भी बकाया है। प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर वक्त करीब 11.30 पी.एम पर परिवादी श्री छीतर गुर्जर की आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोतपूतली-बहरोड से रिश्वत मांग सत्यापन कराने के लिए कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर जिसमें नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB डालकर, परिवादी श्री छीतर गुर्जर को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी श्री छीतर गुर्जर के समक्ष श्री भगवान सिंह कानि. 125 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोतपूतली-बहरोड से अपने काम के लिये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें साथ ही श्री भगवान सिंह कानि. को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री छीतर गुर्जर को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे, और रिश्वत मांग सत्यापन होने के बाद परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द सुपुदर्गी डिजीटल टेप रिकॉर्डर तैयार कर संबंधित के हस्ताकर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व श्री भगवान सिंह कानि0 125 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चता वक्त करीब 2.40 पी.एम पर श्री भगवान सिंह कानि. 125 ने जरिये वाटसअप कॉल अवगत करवाया कि परिवादी श्री छीतर गुर्जर ने गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवा दिया गया है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री भगवान सिंह कानि. को आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग राशि सहित साथ लेकर कार्यालय आने के लिए निर्देश दिये। जिस पर श्री भगवान सिंह कानि. ने परिवादी श्री छीतर गुर्जर से बात करवाई तो परिवादी ने अवगत कराया कि साहब आपके निर्देशानुसार मैं और आपके कार्यालय का कर्मचारी श्री भगवान सिंह आपके कार्यालय से रवाना होकर पुलिया के पास कोटपूतली पहूंचे। जहां मेरे मोबाईल नम्बर   से श्री राजेन्द्र सिंह थानेदार के मोबाईल नम्बर   पर साधारण कॉल कर मिलने के लिए पूछा तो श्री राजेन्द्र सिंह थानेदार ने पुलिस थाना कोतपूतली में अपने कमरा पर मिलने के लिए कहा, इसके बाद श्री भगवान सिंह ने विभागीय डिजीटल टैप रिकॉर्डर चला कर मुझको सुपुर्द किया जिसे मैनें अपने पास सुरक्षित रख

लिया। वहां से मैं मोटरसाईकिल पर रवाना होकर पुलिस थाना कोतपूतली पहूंच कर राजेन्द्र सिंह थानेदार के कमरे में गया तो थानेदार साहब कमरे में बैठे मिले और मैनें मेरे द्वारा दर्ज मुकदमें में कार्यवाही करने के संबंध में बातचीत की तो राजेन्द्र सिंह थानेदार ने मुकदमें में कार्यवाही करने के लिए 5000/-रूपये रिश्वत की मांग की गई तथा उसी वक्त राजेन्द्र सिंह थानेदार ने मेरे से 1500/-रूपये रिश्वत के ले लिए तथा 3500/-रूपये की ओर मांग की है। उक्त वार्ता को मैनें रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया जिसे चालू हालत में श्री भगवान सिंह कानि. को दे दिया जिसे उन्होनें बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। परिवादी से रिश्वत राशि के साथ कार्यालय आने की कहने पर परिवादी ने कहा सर इस समय मेरे पास रूपये नहीं है, मुझे पैसों की भी व्यवस्था करनी है और मेरा बच्चा बीमार है इसलिए मैं आपके कार्यालय नहीं आ सकता। मैं आज पैसो की व्यवस्था कर लुंगा आप कल सुबह कोतपूतली आ जाना मैं यही मिल जाऊंगा, और आगे की ट्रेप कार्यवाही करवा दुंगा। परिवादी की उक्त बातों की ताईद श्री भगवान सिंह कानि. द्वारा भी की गई। इस पर मन् उप पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 20.08.2026 को समय 10.00 एएम पर बानसूर रोड कोटपूतली में उपस्थित मिलने व गोपनीयता की हिदायत देकर श्री भगवान सिंह कानि. को परिवादी को मौके पर ही छोडकर वॉईस रिकॉर्डर सहित उपस्थित कार्यालय आने के निर्देश दिये। तत्पश्चात वक्त करीब 5.00 पी.एम पर श्री भगवान सिंह कानि. ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री भगवान सिंह कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता का रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस पेश किया और बताया कि आज आपके निर्देशानुसार मैं और परिवादी श्री छीतर गुर्जर कार्यालय से रवाना होकर पुलिया के पास कोतपूतली पहूंचे, जहां परिवादी ने अपने मोबाईल फोन से श्री राजेन्द्र सिंह थानेदार के मोबाईल फोन पर साधारण कॉल कर मिलने के लिए पूछा तो श्री राजेन्द्र सिंह ने पुलिस थाना कोतपूतली में अपने कमरा पर मिलने के लिए कहा, इसके बाद मेरे द्वारा डिजीटल टैप रिकॉर्डर चला कर परिवादी को सुपुर्द किया जिसे परिवादी ने अपने पास सुरक्षित रख लिया जिस पर परिवादी को मोटरसाईकिल पर पुलिस थाना कोतपूतली रवाना कर दिया गया और मैं भी पीछे पीछे रवाना होकर थाने के पास ही अपनी उपस्थित छुपाये थे हुये खडा हो गया और परिवादी पर नजर बनाये रखी। तत्पश्चात समय करीब 18-20 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया और चालू हालत में टेप रिकॉर्डर मेरे को सुपुर्द किया गया जिसे बन्द कर मैनें मेरे पास सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने बताया कि राजेन्द्र सिंह, थानेदार से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में बात हो गई है। उक्त बाते जरिये वाट्सएप कॉल द्वारा आपको परिवादी ने बता दी थी। मै आपके निर्देशानुसार परिवादी को मौके पर ही छोडकर वॉईस रिकॉर्डर सहित वहां से रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आ गया। तत्पश्चात मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, थानेदार, पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोतपूतली-बहरोड द्वारा परिवादी के द्वारा दर्ज मुकदमें में कार्यवाही करने के संबंध में बातचीत करना व दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी से 1500/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा 3500/-रूपये बकाया रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर से मांग सत्यापन वार्ता के मूल एसडी कार्ड को निकालकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, अलवर से पाबन्दशुदा दो कर्मचारी उपस्थित कार्यालय आये। जिनको मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री कार्तिक नन्दा पुत्र श्री राजकुमार उम्र 26 साल जाति वालमीकी निवासी हजूरी गेट अलवर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अलवर व दूसरे ने अपना नाम श्री राजन मीणा पुत्र श्री कमल मीणा उम्र 30 साल जाति मीणा निवासी देवयानी हॉस्पिटल के पिछे अलवर हाल कनि. सहायक अलवर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अलवर होना बताया। उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 19.08.026 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा दोनों गवाहान को अवगत कराया कि परिवादी का बच्चा बीमार होने से परिवादी एसीबी कार्यालय अलवर में नहीं आया है। परिवादी कोटपूतली में ही कार्यवाही करवाने के लिए उपस्थित मिलेगा। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन व अब तक की गई कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 8.00 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री कार्तिक नन्दा व श्री राजन मीणा मय एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, श्रीमती मनीषा हैड कानि. श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02, रामजीत िंसह कानि. 206, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री भगवान सिंह कानि. 125, श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक एवं श्री नरेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के बैग में फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को रखवा कर मय एसडी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.08.2026 रिकार्ड है, ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व एक दूसरा विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर एवं अन्य आवश्यक सामान के साथ एक प्राईवेट वाहन व एक सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेषचन्द के वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब कोतपूतली के लिये रवाना हुआ। श्री रामसिंह कानि. 549 को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 9.30 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा जय दुर्गे धर्म कांटा

बानसूर रोड, कोतपूतली पहूंचे जहां पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री छीतर गुर्जर व एक अन्य व्यक्ति उपस्थित मिला। जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर, परिवादी से साथ खडे उक्त व्यक्ति के बारे में पूछा तो उसका नाम श्री अमिलाल यादव पुत्र श्री उमराव जाति यादव उम्र 71 वर्ष, निवासी ग्राम बढानी भगवाना, ग्राम पंचायत बनेठी तहसील कोटपूतली जिला कोतपूतली बहरोड होना बताया तब परिवादी ने ये भी बताया कि मुझे अकेले थाने में जाने में परेशानी है इसलिए ये मेरे साथ आगे की कार्यवाही में मेरे साथ रहेंगे। इस पर जय दुर्गे धर्म कांटा बानसूर रोड, कोतपूतली के सामने बन्द पडीं दुकानों के बाहर जाकर मन उप अधीक्षक ने परिवादी श्री छीतर गुर्जर व उसके साथी श्री अमिलाल यादव का परिचय दोनों गवाहान से करवाया गया तथा लैपटॉप व स्पीकर की सहायता रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश सुनवाये गये। उक्त वार्ता में परिवादी ने अपनी व दूसरी अन्य आवाज संदिग्ध आरोपी राजेन्द्र सिंह, थानेदार की होना बताया। तत्पश्चात वक्त करीब 10.00 ए.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री छीतर पुत्र श्री भंवरा जाति गुर्जर निवासी रावता वाली ढाणी रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली को आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह थानेदार पुलिस थाना कोटपूतली को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा तो परिवादी ने भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के सात नोट कुल 3500/- रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा गवाहान के समक्ष पेश की गई राशि 3500/- रूपये कुल 7 नोटों का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर, उपरोक्त पेष शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। उपरोक्त रिश्वत राषि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार आरोपी को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 7 नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु हमरा श्री नरेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को बुलाया जाकर उनके पास कार्यालय से उनके बैग में रखवाये गये फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी श्री नरेश कुमार से निकलवाई जाकर श्री नरेश कुमार से एक पुराने अखबार वाहन सरकारी के बोनट पर बिछाया जाकर उक्त अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकलवाकर सभी नोटो पर भलि भांति लगवाया गया, तत्पष्चात परिवादी श्री छीतर की जामा तलाशी गवाह श्री कार्तिक नन्दा से लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी, केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया। इसके बाद श्री नरेश कुमार से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये उक्त 500-500 रूपये के 07 नोटों (35,00/-रूपये) परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रखवाये गये, तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही अपने पास से रिश्वत राषि निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर हाथ दो बार हाथ फेरकर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यों को ईशारा करे अथवा मन उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिस कॉल करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेन देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे और समस्त समस्त ट्रेप पाटी सदस्यों को भी आवष्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री नरेश कुमार से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी पुनः उसके बैग में रखवाई गई। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकालकर एक प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट की एक चम्मच गिलास में डालकर घोल तैयार किया जो उक्त घोल को हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात श्री नरेश कुमार के हाथो पर लगे फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त हाथ दाहिने की अंगुलियां व अंगुठा उक्त घोल में डुबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी अथवा हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि आरोपी ने रिश्वत राशि ग्रहण की है। तत्पश्चात उक्त गिलास के घोल के पानी को फिकवाया जाकर उक्त गिलास व प्रयुक्त किये गये उक्त अखबार को नरेश कुमार से मौके पर ही जलाकर नष्ट कराया गया। तत्पश्चात श्री नरेश कुमार के हाथ साबुन व पानी से धुलवाये गये। परिवादी व गवाहान व ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही मे प्रयुक्त होने वाली शीशीया, ढक्कन व ट्रेप सामग्री को भी साफ पानी पुनः धुलवा कर ट्रेप बाक्स में रखा गया। परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों की जमा तलाशी आपस में लिवाई गई जिनके पास स्वयं के मोबाईल व परिचय पत्र के अलावा कोई भी वस्तु अथवा दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पश्चात कानि0 भगवान सिंह के पास कार्यालय एसीबी अलवर मे सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क कम्पनी का जिसमे 32 जीबी को डालकर खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकार्डर को परिवादी को आवश्यक हिदायत कर सुपुर्द कराया गया तथा कानि0 भगवान सिंह को हिदायत दी गई की परिवादी को आरोपी के पास रवाना करने से पूर्व उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुपुर्द करे। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात श्री नरेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को मौके से ही कार्यालय एसीबी चौकी अलवर हेतु मय उसके बैग जिसमें फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी है के रवाना किया गया। तत्पष्चात वक्त करब 10.25 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री छीतर गुर्जर व उसका साथी श्री अमिलाल यादव एवं श्री सुण्डाराम हैड कानि. परिवादी के साथ उसकी मोटर साईकिल

से व दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी स्टाफ साथ लाये हुये वाहनो से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही जय दुर्गे धर्म कांटा, बानसूर रोड कोट पूतली से पुलिस थाना कोटपूतली के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त करीब 10.40 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का संजीवनी हॉस्पीटल कोतपूतली के पास पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर आरोपी की लोकेशन जानने के लिए परिवादी से फोन करवाया गया तो आरोपी ने परिवादी को थाने पर ही मिलने के लिए बुलाया है, जिस पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री भगवान सिंह कानि. से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द करवाया गया और परिवादी व परिवादी के साथी को मुनासिब हिदायत देकर आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, थानेदार के पास पुलिस थाना कोटपूतली के लिए रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् उप पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी पुलिस थाना कोटपूतली के पास पहूंचे, जहां परिवादी व उसका साथी पुलिस थाना कोटपूतली के अन्दर चले गये, मन उप अधीक्षक पुलिस व दोनों गवाहान एवं बाकी एसीबी स्टाफ सदस्य अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये पुलिस थाना कोटपूतली परिसर के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 10.58 ए.एम पर दोनो गवाहान के समय मौतबिरान के समक्ष परिवादी श्री छीतर ने पुलिस थाना कोटपूतली के मुख्य दरवाजे पर आकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिसे मुझ उप अधीक्षक पुलिस, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों ने देखा परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक, परिवादी से प्राप्त ईशारे के बारे में दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो को अवगत करवाया जाकर उपरोक्त दोनो मौतबिरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर पुलिस थाना कोटपूतली के मुख्य दरवाजे के बाहर खडे परिवादी के पास पहूंचे जहां परिवादी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर मन उप अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के समक्ष बताया की अभी थोडी देर पहले आपके निर्देशानुसार मै व मेरे साथी श्री अमीलाल यादव के साथ पुलिस थाना कोटपूतली पर आया तथा थानेदार साहब थाने के मैनगेट पर खडे थे, हम दोनो को देखकर वापिस मुडकर अपने कमरे में चले गये हम दोनो भी इनके पीछे पीछे थाने के मुख्य दरवाजे से अन्दर की बांयी साईड की तरफ एक कमरा मे चले गये। जहां थानेदार साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गये और हम दोनो को वही बैच पर बैठा दिया और हमने हमारे काम के बारे में बातचीत की और थानेदार साहब ने मुसझे ईशारे में रिश्वत राशि देने के लिये कहा तो मैने अपने पास पाउडर युक्त रिश्वत राशि दे दी और थानेदार साहब रिश्वत राशि लेकर अपने पहनी हुई शर्ट की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये और मैय चाय के बहाने आपको ईशारा करने के लिये बाहर आ गया और मेरे साथ आये श्री अमीलाल अभी उनके साथ उनके कमरे में बैठाया है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी के पीछे पीछे पुलिस थाना कोटपुतली के अन्दर प्रवेश कर गेट के बांयी तरफ बने कमरे जिस पर अनुसंधान कक्ष लिखा हुआ है, उक्त कमरे के अन्दर प्रवेश किया उक्त कमरे मे परिवादी का साथी श्री अमीलाल साईड में लगी हुई बैच पर बैठा हुआ मिला तथा कमरे में लगी कुर्सी पर एक अन्य व्यक्ति पुलिस उप निरीक्षक की वर्दी पहने हुये बैठा था जिसकी वर्दी की शर्ट पर दाहिनी जेब के उपर नेम प्लैट लगी हुई है जिस पर राजेन्द्र सिंह लिखा हुआ था कि तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया की साहब ये ही राजेन्द्र सिंह थानेदार साहब है जिन्होने अभी अभी मेरे से मेरे मुकदमा संख्या 380/2026 मे आगे कार्यवाही करने की एवजं मे 3500/- रूपये की रिश्वत मांग कर लिये है और मेरे से रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की शर्ट के दाहिनी साईड की जेब में रख लिये है। इस पर मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त अनुसंधान कक्ष में कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसे आने का मन्तव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो वह घबरा गया और कुछ नही बोला इस पर मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने तसल्ली देकर पुनः पूछा तो उक्त ने अपना नाम श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जाति अहीर उम्र 58 साल निवासी ग्राम भडंगी तहसील कौसली जिला रेवाडी हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली- बहरोड होना बताया। इस पर मुझ उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली- बहरोड से परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि किस काम के लिये ली है और अभी कहां है के बारे में पूछा तो आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह ने बताया की मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की ये दोनो थोडी देर पहले मेरे पास मेरे कमरे में आये और मुझसे छीतर के द्वारा दर्ज करवाये के मुकदमा संख्या 380/2026 में आईसीआईसी बैक के अधिकारियों को मुल्जिम बनाने के लिये बातचीत की और छीतर ने जबरदस्ती कुछ रूपये मेरी पहनी हुई वर्दी की जेब में रख दिये जो अभी भी मेरी जेब में रख हुये है। मैने इनसे ना तो कोई रिश्वत की मांग की और ना ही ली है। इस पर पास में खडे परिवादी ने कहा की साहब ये झूठ बोल रहे है, मेरे द्वारा आईसीआईसी बैक कूजूका मोहनपुर के मैनेजर के द्वारा धक्का मुक्की व गाली गलौच करने पर मैने कोर्ट के माध्यम से पुलिस थाना कोटपूतली मे मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें आगे कार्यवाही के लिये दिनांक 16.08.2026 को श्री राजेन्द्र सिंह थानेदार साहब से मिला तो केस में आगे की कार्यवाही करने की एवजं पहले तो 10000/-रूपये मांगे फिर 5000/-रूपये की मांग की गई और पैसे नही देने पर केस पर कोई कार्यवाही नही करने की बात कही इस संबंध में आपको अलवर कार्यालय में शिकायत देने पर आप द्वारा दिनांक 19.08.2026 को ही रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने पर थानेदार साहब ने मुझसे दौराने सत्यापन 1500/-रूपये और ले लिये तथा 3500/- रूपये आज दिनांक 20.08.2026 को लेकर बुलाया था और अभी थोडी देर पहले आपके निर्देशानुसार मै

इनसे फोन पर बात की तो इन्होने मुझे थाने पर ही बुलाया तो मै व श्री अमीलाल थाने पर आये जहा ये हमे थाने के मैन गेट पर ही मिल गये हम दोनो को देखकर वापिस मुडकर ये थाने के अन्दर बांयी तरफ बने अपने कमरे में जाकर बैठ गये और हम दोनो भी इनके पीछे पीछे इनके कमरे में चले गये और कमरे में लगी बैंच पर बैठकर कर हम दोनो ने मेरे केस के बारे में बातचीत की तो इन्होने केस में मदद करने की बात कही और ईशारे में पैसे देने के लिये कहने पर मैने अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब से रिश्वत राशि 3500/-रूपये निकालकर कर इनको दे दिये तो इन्होने अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की शर्ट की दाहिने साईड जेब में रख लिये जो अभी इनकी उक्त जेब में ही रखे हुये है। परिवादी की उक्त बातों की परिवादी के साथी श्री अमीलाल ने भी ताईद की गई। इस पर आरोपी से पुनः पूछा तो आरोपी कुछ नही बोला और चुप हो गया। तत्पश्चात उक्त कमरे के बाहर रखे हुये पानी के कैम्पर से बोतल मे पानी मंगवाया जाकर स्टाफ से ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकलवाकर उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह उप निरीक्षक, के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह उप निरीक्षक के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गैदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गैदमैला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1 , L-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी की पहनी हुई वर्दी की शर्ट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह श्री राजन मीणा से लिवाई गई तो गवाह ने जेब में 500-500 रूपये के कुछ नोट रखे होना बताया जिन्हे गवाह श्री राजन मीणा से निकलवाया जाकर पूर्व में बनी फर्द पेशकशी मे अंकित नम्बरो से दोनो गवाहान से मिलान करवाया गया तो उक्त बरामदशुदा नोट मुताबिक फर्द पेशकशी के 500- 500 के 7 नोट कुल 3500/-रूपये नम्बरी नोट होना बताया। बरामदशुदा उक्त नोटो को गवाह श्री राजन मीणा के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात उक्त कमरा कार्यवाही के लिय माकूल व्यवस्था नही होने से आरोपी को साथ लेकर थानाधिकारी के कक्ष में पहूंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात आरोपी की पहनी हुई वदी की शर्ट को सालीनतापूर्वक उतरवाया जाकर दूसरी शर्ट पहनाई गई। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उक्त गिलास में थानाधिकारी के कक्ष में रखी हुई पानी की बोतल से पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त शर्ट की सामने की दाहिने साईड की जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त जेब को उल्टाकर उक्त गिलास के घोल में डुबाया गया तो गिलास के धौवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क S-1, S -2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद उक्त वर्दी की शर्ट जिसकी दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है का धौवन लिया गया है, उक्त जेब को सुखाकर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त शर्ट को एक सफेद कपडे थैली मे रखकर सीलमोहन कर उक्त थैली पर पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कर मार्क S अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद गवाह श्री राजन मीण के पास बरामदशुदा रिश्वत राशि रखवाई गई को पेश करने की कहने पर श्री राजन मीणा ने अपने पास से निकालकर पेश की। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 7 नोट कुल 3500/- रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर, बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 7 नोट कुल 3500/- की रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर शील मोहर कर उक्त कपडे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क TM अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही में रिश्वत लेन देन के वक्त हुई रूबरू वार्तालाप विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिसे चालू कर सुना गया तो रिश्वत लेन-देन की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई रिकॉर्डर को बंद कर सुरिक्षत ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में 32 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर श्री भास्कर हैड कानि से करवाई गई। इसके बाद आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड से परिवादी से संबंधित अपराध संख्या 380/2026 की अनुसंधान पत्रावली के बारे में पूछा तो उक्त पत्रावली को कम्यूटर कक्ष मे ऑपरेटर कानि.को सीसीटीएनएस पर ऑन लाईन करना बताया। इस पर थाना मे पदस्थापित/उपस्थित श्री शक्ति सिंह सहायक उप निरीक्षक को मुकदम संख्या 380/2026 की पत्रावली पेश की कहने पर श्री शक्ति सिंह सउनि द्वारा उक्त पत्रावली की छाया प्रति को स्वयं के द्वारा प्रमाणित कर पेश की जिसका अवलोकन करने पर

परिवादी श्री छीतर पुत्र भंवरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ढाणी चांबीया वाली (रावत वाली ढाणी) तन.रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड बनाम बैक प्रबंधक आईसीआईसीआई बैक शाखा कोटपूतली व छीतरमल यादव में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली बहरोड की आदेशिक दिनांक 03.07.2026 के क्रम में पुलिस थाना कोटपूतली पर दिनांक 16.07.2026 प्रकरण संख्या 380/2026 दर्ज किया गया है जिसमें श्री राजेन्द्र सिंह उप निरीक्षक को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त पत्रावली के पृष्ठ संख्या 1 से 104 तक के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाकी की गई तथा मूल पत्रावली मुनासिफ हिदायत के साथ श्री शक्ति सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली को सुपुर्द की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही जप्तशुदा रिकॉर्ड अनुसार प्रकरण में नतीजा नही दिया गया, आरोपी के पास परिवादी का कार्य पैण्डिग था। तत्पश्चात वक्त करीब 1.10 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व. श्री नन्दलाल, जाति अहीर उम्र 58 साल निवासी भडंगी तहसील कौसली जिला रेवाडी हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित किया जाने पर आरोपी के कृत्य के क्रम में बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफतारी के आधार के क्रम मे नोटिस जारी किया जाकर एक प्रति आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड को देकर हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। वक्त करीब 1.30 पी.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री छीतर गुर्जर एवं आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड के मध्य दिनांक 19.08.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय रूबरू हुई वार्ता जो विभागीय टेपरिकॉर्डर में लगे एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर एसडी कार्ड को विभागीय टेपरिकॉर्डर से बाहर निकाल कर दिनांक 19.08.2026 को कार्यालय की आलमारी में रखवाये गये एसडी मैमोरी कार्ड को दिनांक 20.08.2026 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर साथ लेकर आये हुए को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया, रिकॉर्ड वार्ता का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर, उपरोक्त वार्तालाप परिवादी श्री छीतर गुर्जर व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। परिवादी श्री छीतर गुर्जर ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की व आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड की होने की पहचान की गई। डिजिटल वॉईस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी SanDisk 16 GB के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री छीतर सिंह के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क A1 A2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.08.2026 की रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-1 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त पेनड्राइव व ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री भगवान सिंह कानि0 125 से तैयार करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त करीब 2.40 पी.एम पर आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड के मध्य आज दिनांक 20.08.2026 को रिश्वत लेन देन के समय हुई रूबरू वार्ता को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे सैनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकार्ड है उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर वार्ता के मुख्य अंश सुनकर अपने पास रखा था, को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया, रिकॉर्ड वार्ता का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर, उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री छीतर गुर्जर एवं आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड की आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk 16 GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले SanDisk 32 GB मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री भगवान सिंह कानि0 125 से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 B2 B3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर, एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से

एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। पेनड्राईव मार्क B1 B2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B3 को खुला रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 20.08.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-2 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त करीब 3.50 पी.एम पर उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व. श्री नन्दलाल, जाति अहीर उम्र 58 साल निवासी भडंगी तहसील कौसली जिला रेवाडी हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दी गई। तत्पश्चता वक्त करीब 4.20 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री छीतर से आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली- बहरोड द्वारा 3500/-रूपये रिश्वत प्राप्त करने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान श्री भास्कर हैड कानि. 59 द्वारा सरकारी मोबाईल में नया एसडी कार्ड SanDisk 32 GB डालकर उक्त कार्यवाही की श्री भास्कर हैड कानि. से वीडियोग्राफी करवाई गई थी। उक्त मोबाईल मे से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे कनेक्ट कर रिकॉर्ड विडियोग्राफी क्लिप को विभागीय लैपटॉप मे सेव किया जाकर उक्त सेव विडीयोग्राफी को दो नई पेन ड्राईव नई SanDisk 16 GB ली जाकर उक्त पैन ड्राईव में बारी बारी पैन ड्राईव तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। दोनो पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर मार्क V-1, V-2 अंकित किया जाकर मार्क V-1 को सील मोहर कर कपडे की थैली मे रखकर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा मार्क V-2 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उक्त कार्ड को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD-3 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नम्बर 80 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। तत्पश्चात वक्त करीब 4.50 पी.एम पर दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री छीतर गुर्जर व उसका साथी श्री अमिलाल यादव की निशानदेही से घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल कार्यवाही किया गया। वक्त करीब 5.20 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक द्वारा पुलिस थाना परिसर में बने क्वाटर की खाना तलाशी ली गई जिसमें कोई संदिग्ध दस्तावेज एवं राशि नही पाई गई और नाही कब्जा पुलिस ली गई। तत्पश्चात वक्त करीब 5.50 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 80 को श्री भगवान सिंह कानि. 125 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। वक्त करीब 6.00 पी. एम पर परिवादी श्री छीतर गुर्जर व उसके साथी श्री अमिलाल यादव को बाद कार्यवाही पुलिस थाना कोटपूतली से उसके निवास के लिए रूखस्त किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 6.05 पी.एम मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, श्रीमती मनीषा हैड कानि. 60, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125 व श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक, दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड को साथ लेकर हमराह साथ लाये वाहनों से पुलिस थाना कोटपूतली से अलवर के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 7.20 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य व दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड के पुलिस थाना कोटपूतली से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंच जप्तशुदा एवं शील्डशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स के कार्यालय में रखा गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक को स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया। वक्त करीब 7.40 पी.एम पर गवाह श्री कार्तिक नन्दा व श्री राजन मीणा कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को बाद कार्यवाही एसीबी चौकी अलवर से जाय तैनाती/निवास के लिए रूखस्त किया गया। वक्त करीब 8.00 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा समस्त वजह सबूत माल/आर्टिकल को

मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 के मार्फत चौकी हाजा के मालखाना में दुरूस्त हालत मे जमा करवाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से दिनांक 19.08.2026 को परिवादी श्री छीतर गुर्जर की लिखित रिपोर्ट पर दिनांक 20.08.2026 पर आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जाति अहीर उम्र 58 साल निवासी ग्राम भडंगी तहसील कौसली जिला रेवाडी हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली- बहरोड द्वारा अपने वैध पारिश्रम के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री छीतर के द्वारा आईसीआईसी बैक कूजूका मोहनपुर के मैनेजर के द्वारा धक्का मुक्की व गाली गलौच करने पर परिवादी के द्वारा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपूतली के आदेश पर पुलिस थाना कोटपूतली मे मुकदमा संख्या 380/2026 दर्ज है, जिसके अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उप निरीक्षक है, उक्त प्रकरण में श्री राजेन्द्र सिहं उप निरीक्षक द्वारा अनुसंधान नही करने पर परिवादी द्वारा आगे कार्यवाही के लिय दिनांक 16.08.2026 को श्री राजेन्द्र सिंह उप निरीक्षक से मिला तो आरोपी द्वारा केस में आगे की कार्यवाही करने की एवजं 5000/- रूपये मांग की गई और पैसे नही देने पर केस पर कोई कार्यवाही नही करने की बात कही इस संबंध में परिवादी द्वारा दिनांक 19.08.2026 को एसीबी कार्यालय अलवर में शिकायत दी गई। परिवादी की उक्त शिकायत पर दिनांक 19.08.2026 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने पर आरोपी द्वारा परिवादी से दौराने सत्यापन 1500/-रूपये लेना तथा 3500/- रूपयें की मांग कर सहमत होना एवं उक्त मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 20.08.2026 को परिवादी छीतर से 3500/-रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर व ग्रहण की गई तथा उक्त ग्रहण की गई रिश्वत राशि आरोपी श्री राजेन्द्र सिहं उप निरीक्षक के कब्जे से बरामद होने से आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित होना पाया जाने पर नियमानुसार कानूनी प्रावधानो की पालना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अतः आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व. श्री नन्दलाल, जाति अहीर उम्र 58 साल निवासी भडंगी तहसील कौसली जिला रेवाडी हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है। भवदीय (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर.............कार्यवाही पुलिस........... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व. श्री नन्दलाल, जाति अहीर उम्र 58 साल निवासी भडंगी तहसील कौसली जिला रेवाडी हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री देवन्द्र प्रसाद शर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 376 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1370-73 दिनांक 23.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर 2- महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Devendra Prasad **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/08/2026 13:18:47

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)